कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री चरन सेफ वर्क्स प्रा०लि०, 6-ए इण्डस्ट्रियल स्टेट , कानपुर ।**

प्रा०प०सं०- **317/2008**

प्रार्थी की ओर से- कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 24-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **Wooden & Steel/Iron Furniture ,Almiraha,Cash Box,Safe,Book Case** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,कानपुर से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त वस्तुओं पर अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि पर प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः धारा-59 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय रुप से किया जा रहा है।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या का परिशीलन किया। Wooden & Steel/Iron Furniture ,Almiraha,Cash Box,SafeBookCase.वैट अधिनियम कीअनुसुची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 11,अगस्त ,2008

ह0 11.8.08

(दीपक कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

वै० म० प्र०-I